"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2015—माघ 10, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-1/2014/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा वर्ष 2015 में, छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु निम्नलिखित सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है :—

(अ) सामान्य अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1936	सोमवार

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	महाशिवरात्रि	एक	17 फरवरी	माघ 28, 1936	मंगलवार
3.	होली	एक	6 मार्च	फाल्गुन 15, 1936	शुक्रवार
4.	रामनवमी	एक	28 मार्च	चैत्र 7, 1937	शनिवार
5.	महावीर जयंती	एक	2 अप्रैल	चैत्र 12, 1937	गुरुवार
6.	गुड फ्राईडे	एक	3 अप्रैल	चैत्र 13, 1937	शुक्रवार
7.	डॉ. अंबेडकर जयंती	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1937	मंगलवार
8.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	4 मई	वैशाख 14, 1937	सोमवार
9.	कबीर जयंती	एक	2 जून	ज्येष्ठ 12, 1937	मंगलवार
10.	ईद-उल-फितर	एक	18 जुलाई	आषाढ़ 27, 1937	शनिवार
11.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1937	शनिवार
12.	रक्षा बंधन	एक	29 अगस्त	भाद्र 7, 1937	शनिवार
13.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	5 सितंबर	भाद्र 14, 1937	शनिवार
14.	ईद-उल-जुहा	एक	25 सितंबर	आश्विन 3, 1937	शुक्रवार
15.	गांधी जयंती	एक	2 अक्टूबर	आश्विन 10, 1937	शुक्रवार
16.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	22 अक्टूबर	आश्विन 30, 1937	गुरुवार
17.	मोहर्रम	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 2, 1937	शनिवार
18.	दीपावली	एक	11 नवंबर	कार्तिक 20, 1937	बुधवार
19.	गुरूनानक जयंती	एक	25 नवम्बर	अग्रहायण 4, 1937	बुधवार
20.	गुरू घासीदास जयंती	एक	18 दिसंबर	अग्रहायण 27, 1937	शुक्रवार
21.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	24 दिसंबर	पौष 3, 1937	गुरुवार
22.	क्रिसमस डे	एक	25 दिसंबर	पौष 4, 1937	शुक्रवार

टीप :—

(1) "निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26)" की धारा 25 के अंतर्गत कोषालय एवं उप कोषालय हेतु सार्वजनिक अवकाश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-9-2014 द्वारा घोषित किए गए हैं.

(2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :—

1.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	4 जनवरी	पौष 14, 1936

(3) ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) वर्ष 2015 में दो बार पड़ेगा.

(ब) ऐच्छिक अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नववर्ष दिवस	एक	01 जनवरी	पौष 11, 1936	गुरुवार
2.	छेरछेरा	एक	5 जनवरी	पौष 15, 1936	सोमवार
3.	राजिम भक्तिन माता जयंती	एक	7 जनवरी	पौष 17, 1936	बुधवार
4.	मकर संक्रांति/पोंगल	एक	14 जनवरी	पौष 24, 1936	बुधवार
5.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयंती	एक	23 जनवरी	माघ 3, 1936	शुक्रवार
6.	बसंत पंचमी	एक	24 जनवरी	माघ 4, 1936	शनिवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	राजिम मेला माघ पूर्णिमा/संत रविदास जयंती	एक	3 फरवरी	माघ 14, 1936	मंगलवार
8.	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	एक	10 फरवरी	माघ 21, 1936	मंगलवार
9.	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	एक	14 फरवरी	माघ 25, 1936	शनिवार
10.	छत्रपति शिवाजी जयंती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1936	गुरुवार
11.	होली (होलिका दहन)	एक	5 मार्च	फाल्गुन 14, 1936	गुरुवार
12.	भाई-दूज	एक	7 मार्च	फाल्गुन 16, 1936	शनिवार
13.	भक्त माता कर्मा जयंती	एक	16 मार्च	फाल्गुन 25, 1936	सोमवार
14.	वीरांगना अवंति बाई का बलिदान दिवस	एक	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1936	शुक्रवार
15.	गुडी पड़वा/चैतीचांद	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1936	शनिवार
16.	गुहा निषादराज जयंती	एक	24 मार्च	चैत्र 3, 1937	मंगलवार
17.	हाटकेश्वर जयंती	एक	3 अप्रैल	चैत्र 13, 1937	शुक्रवार
18.	धरती पूजा (खद्दी पर्व)	एक	4 अप्रैल	चैत्र 14, 1937	शनिवार
19.	वैशाखी	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1937	मंगलवार
20.	श्रीमद् वल्लभाचार्य जयंती	एक	15 अप्रैल	चैत्र 25, 1937	बुधवार
21.	सेन जयंती	एक	16 अप्रैल	चैत्र 26, 1937	गुरुवार
22.	परशुराम जयंती	एक	21 अप्रैल	वैशाख 1, 1937	मंगलवार
23.	शंकराचार्य जयंती	एक	23 अप्रैल	वैशाख 3, 1937	गुरुवार
24.	छत्रसाल जयंती/महाराणा प्रताप जयंती	एक	21 मई	वैशाख 31, 1937	गुरुवार
25.	शब-ए-बरात	एक	2 जून	ज्येष्ठ 12, 1937	मंगलवार
26.	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	एक	24 जून	आषाढ़ 3, 1937	बुधवार
27.	जमाद-उल-विदा	एक	17 जुलाई	आषाढ़ 26, 1937	शुक्रवार
28.	रथयात्रा	एक	18 जुलाई	आषाढ़ 27, 1937	शनिवार
29.	हरेली	एक	14 अगस्त	श्रावण 23, 1937	शुक्रवार
30.	पारसी नववर्ष	एक	18 अगस्त	श्रावण 27, 1937	मंगलवार
31.	नाग पंचमी	एक	19 अगस्त	श्रावण 28, 1937	बुधवार
32.	ओणम	एक	28 अगस्त	भाद्रपद 6, 1937	शुक्रवार
33.	हरछठ	एक	4 सितंबर	भाद्रपद 13, 1937	शुक्रवार
34.	पोला	एक	12 सितंबर	भाद्रपद 21, 1937	शनिवार
35.	गणेश चतुर्थी/विश्वकर्मा जयंती	एक	17 सितंबर	भाद्रपद 26, 1937	गुरुवार
36.	नवाखाई	एक	18 सितंबर	भाद्रपद 27, 1937	शुक्रवार
37.	ढोल ग्यारस	एक	24 सितंबर	आश्विन 2, 1937	गुरुवार
38.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	एक	12 अक्टूबर	आश्विन 20, 1937	सोमवार
39.	अग्रसेन जयंती	एक	13 अक्टूबर	आश्विन 21, 1937	मंगलवार
40.	दशहरा (महाअष्टमी)/दशहरा (महानवमी)	एक	21 अक्टूबर	आश्विन 29, 1937	बुधवार
41.	महर्षि वाल्मिकी जयंती/महाराजा अजमोढ़ देव जयंती/टेकचन्द जी महाराज का समाधि उत्सव.	एक	27 अक्टूबर	कार्तिक 5, 1937	मंगलवार
42.	करवाचौथ व्रत	एक	30 अक्टूबर	कार्तिक 8, 1937	शुक्रवार
43.	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	10 नवम्बर	कार्तिक 19, 1937	मंगलवार
44.	दीपावली का दूसरा दिन	एक	12 नवम्बर	कार्तिक 21, 1937	गुरुवार
45.	भाई दूज	एक	13 नवम्बर	कार्तिक 22, 1937	शुक्रवार
46.	भगवान सहस्त्रबाहु जयंती	एक	18 नवम्बर	कार्तिक 27, 1937	बुधवार
47.	गुरू तेग बहादुर का शहीदी दिवस	एक	24 नवम्बर	अग्रहायण 3, 1937	मंगलवार
48.	शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस	एक	10 दिसंबर	अग्रहायण 19, 1937	गुरुवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	गुरू गोविंद सिंह का जन्म दिवस	एक	18 दिसंबर	अग्रहायण 27, 1937	शुक्रवार
50.	दत्तात्रैय जंयती	एक	25 दिसंबर	पौष 4, 1937	शुक्रवार

टीप :—

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक को उपरोक्त ऐच्छिक अवकाशों में से उसकी इच्छानुसार केवल 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी.

(2) निम्नलिखित ऐच्छिक अवकाशों के दिन रविवार होने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है :—

1.	लुई ब्रेल का जन्म दिवस	4 जनवरी	पौष 14, 1936
2.	हजरत अली का जन्म दिवस	3 मई	वैशाख 13, 1937
3.	डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म दिवस	19 जुलाई	आषाढ़ 28, 1937
4.	विश्व आदिवासी दिवस	9 अगस्त	श्रावण 18, 1937
5.	अनंत चतुर्दशी	27 सितंबर	आश्विन 5, 1937
6.	प्राणनाथ जयंती	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1937
7.	नामदेव जयंती	22 नवम्बर	अग्रहायण 1, 1937

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-1/2014/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2015 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :—

सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

क्रमांक (1)	अवकाश का नाम (2)	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या (3)	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (4)	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) (5)	सप्ताह का दिन (6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1936	सोमवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	17 फरवरी	माघ 28, 1936	मंगलवार
3.	होली	एक	6 मार्च	फाल्गुन 15, 1936	शुक्रवार
4.	बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	1 अप्रैल	चैत्र 11, 1937	बुधवार
5.	महावीर जयंती	एक	2 अप्रैल	चैत्र 12, 1937	गुरुवार
6.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	4 मई	वैशाख 14, 1937	सोमवार
7.	ईद-उल-फितर	एक	18 जुलाई	आषाढ़ 27, 1937	शनिवार
8.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1937	शनिवार
9.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	5 सितंबर	भाद्र 14, 1937	शनिवार
10.	ईद-उल-जुहा	एक	25 सितंबर	आश्विन 3, 1937	शुक्रवार
11.	गांधी जयंती	एक	2 अक्टूबर	आश्विन 10, 1937	शुक्रवार
12.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	22 अक्टूबर	आश्विन 30, 1937	गुरुवार
13.	मोहर्रम	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 2, 1937	शनिवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	दीपावली	एक	11 नवंबर	कार्तिक 20, 1937	बुधवार
15.	गुरूनानक जयंती	एक	25 नवम्बर	अग्रहायण 4, 1937	बुधवार
16.	क्रिसमस डे	एक	25 दिसंबर	पौष 4, 1937	शुक्रवार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्रमांक 01/113/अव./2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 20-10-2014 से 10-11-2014 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19-10-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक 07/3253/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 27-11-2014 से 11-12-2014 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजुरकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एन. राजुरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक 09/934/अव./2014/1-8/स्था.—श्री राजेश कुमार नारद, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 11-12-2014 से 24-12-2014 तक 14 दिवस का (दिनांक 25-12-2014 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार नारद आगामी आदेश तक अवर सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार नारद को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार नारद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक 11/932/अव./2014/1-8/स्था.—श्री सहनलाल नर्रे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 17-11-2014 से 16-12-2015 तक 30 दिवस का (दिनांक 15, 16-11-2014 एवं 18-12-2014 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सहनलाल नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामोद्याग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सहनलाल नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सहनलाल नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्रमांक 13/933/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-12-2014 से 24-12-2014 तक 09 दिवस का (दिनांक 25-12-2014 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. ठाकुर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. आर. ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्रमांक 19/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 30-12-2014 से 03-01-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 28, 29-12-2014 एवं 04-01-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्रमांक 21/2518/अव./2009/1-8/स्था.—श्री के. डी. कुंजाम, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 07-10-2014 से 10-12-2014 तक 65 दिवस का (दिनांक 05, 06-10-2014 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. डी. कुंजाम आगामी आदेश तक उप सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. डी. कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. डी. कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 1-3/2013/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय सेवा के श्री अमृतलाल लिखार, अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30-12-2011 द्वारा श्री व्ही. के. छबलानी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा (1989 बैच) की सेवाएं 02 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ मंत्रालय में ली गई. तत्पश्चात् आदेश दिनांक 16-12-2013 द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई, जो दिनांक 19-01-2015 को समाप्त हो रही है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में अब दिनांक 20-01-2015 से 19-04-2017 तक के लिये पुन:वृद्धि की जाती है. श्री छबलानी की प्रतिनियुक्ति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 2-6/2014/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय सेवा के श्री सुरेश कुमार तिवारी, अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2015

क्रमांक ई 7-11/2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, जिला रायगढ़ को दिनांक 26-06-2014 से दिनांक 28-06-2014 तक (03 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29 जून 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-55/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त 2014 को प्रथम प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री अनिल कुमार सिदार	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री भागवत प्रसाद जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री आदित्य कुंजाम	सहा. अधी. भू-अभिलेख	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री दशरथ सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री मनीष देव साहू	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री उपेन्द्र किण्डो	सहा. अधी. भू-अभिलेख	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	कु. अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	कु. दीप्ति गौते	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

10.	सुश्री पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहा. अधी. भू-अभिलेख	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री रामप्रसाद चौहान	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	कु. दिव्या अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
15.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
16.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
17.	श्री देवेन्द्र पटेल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

18.	श्री बजरंग कुमार दुबे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
19.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
20.	श्री शशिशेखर मिश्रा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
21.	श्री मुकेश देवांगन	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
22.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
23.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
25.	श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
28.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
29.	श्री नीरज कांत तिवारी	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
30.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
31.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
32.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
33.	श्री रविकुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
34.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
35.	श्री गुड्डू लाल जगत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
36.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
37.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
38.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
39.	श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
40.	श्री रूपेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
41.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
42.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
43.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
44.	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-56/गृह-सी/परीक्षा/2014.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रेमलाल ध्रुवे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री लक्ष्मण कुमार कश्यप	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री दिलीप कुमार कोसरिया	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री तरूण सिरदार	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री नरेन्द्र सिंह नाग	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	कु. इशरत खान	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्रीमती वीना कंवर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री चैतन्य कुमार ठाकुर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री कैलाश चन्द्रवंशी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री रणवीर सिंह किरार	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री मनोज कुमार साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	सुश्री डिम्पल सिन्हा	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री अनिल कुमार सलाम	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री शैलेन्द्र कुमार ठाकुर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री विनोद कुमार भतरिया	रिकार्ड कीपर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री फुलजेन्स टोप्पो	उप-पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री रामकुमार घिलाहरे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री रविशंकर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री किशोर कुमार	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री ठाकुर राम रावटे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	पंजीयन लिपिक	सश्रेय से उत्तीर्ण
22.	कु. सुमन बांधे	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	सुश्री रश्मि सोनी	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्री सियाराम साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री दीपक कुमार मण्डावी	जिला पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री सुभाष कुमार गढ़पायले	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री राकेश बाम्बेश्वर	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री कौशल कुमार ठाकुर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्री चन्द्रहास	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
30.	श्री गोपाल चंद्र मेहर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री दयानन्द पैकरा	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
32.	कु. सुजाता साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
33.	कु. नीलिमा पैकरा	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्री पवन कुमार मरावी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
36.	श्री संतराम साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
37.	श्री प्रेमलाल मण्डावी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री विजय एक्का	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
39.	श्री अनुराग वैश्य	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री देवेन्द्र कुमार साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
41.	कु. स्मृति लाल	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-75/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सा.प्र.वि. एवं राजस्व भू-अभिलेख विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न

परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पद नाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री भागवत जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री आदित्य कुंजाम	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री उपेन्द्र किण्डो	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री अनिल कुमार सिदार	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्री दशरथ सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	कु. अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती प्रेमलता मंडावी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
10.	श्री मनीष देव साहू	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

11.	श्री देवेन्द्र पटेल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
13.	कु. पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
16.	श्री रामप्रसाद चौहान	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
17.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	कु. दिव्या अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

19.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
20.	श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
21.	श्री बजरंग कुमार दुबे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री चित्रकांत चाली ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
23.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
25.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
27.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
28.	श्री मुकेश देवांगन	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
29.	श्री शशिशेखर मिश्रा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
30.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)

31.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
32.	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	श्री नीरजकांत तिवारी	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
34.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन	सहा. अधी. भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
35.	श्री रविकुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
36.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
37.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
38.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
39.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
40.	श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
41.	श्री रूपेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
42.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
43.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
44.	श्री गुड्डू लाल जगत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
45.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
46.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-77/गृह-सी/परीक्षा/2014.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 अगस्त, 2014 को "सामान्य विधि प्रश्न पत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पद नाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्रीमती विजया रात्रे	भा.व.से. (प्रशिक्षु)	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-85/गृह-सी/परीक्षा/2014.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 07 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "न्यायिक शाखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पद नाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अभिषेक मीना	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री आई. कल्याण एलिसेला	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री सदानन्द कुमार	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री संतोष कुमार सिंह	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-86/गृह-सी/परीक्षा/2014.—आबकारी विभाग (उत्पाद शुल्क) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 07 अगस्त, 2014 को परीक्षा के प्रश्न पत्र “लेखा” (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पद नाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आशीष कुमार कोसम	जिला आबकारी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री उत्तम बुद्ध भारद्वाज	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री शीलारानी एक्का	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री पंकज कुजूर	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री टेक बहादुर कुर्रे	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
6.	श्री रंजीत कुमार गुप्ता	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री वैभव मित्तल	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री अनिल मित्तल	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री आशीष कुमार सिंह	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-94/गृह-सी/परीक्षा/2014.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र “छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न पत्र” (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पद नाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शशिरत्न पाराशर	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री छेदीलाल तिवारी	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री आनंद प्रकाश सिंह सोलंकी	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-97/गृह-सी/परीक्षा/2014.—वन विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्न पत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद नाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती विजया रात्रे	भा.व.से. (प्रशिक्षु)	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-98/गृह-सी/परीक्षा/2014.—जनसम्पर्क विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	नाम	पद नाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री छेदीलाल तिवारी	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री आनंद प्रकाश सिंह सोलंकी	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
3.	श्री चंद्रशेखर कश्यप	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-99/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सभी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद नाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कु. नम्रता गांधी	सहायक कलेक्टर	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री सौरभ शर्मा	सहायक संचालक जनसंपर्क	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-57/गृह-सी/परीक्षा/2014.—वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री यदुनंदन राठौर	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री दिनकर वासनिक	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री आशीष कुमार कोसम	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्रीमती मंजूश्री कसेर	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री राजेश जायसवाल	जिला आबकारी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री समीर मिश्रा	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	कु. शीलारानी एक्का	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री उत्तम बुद्ध भारद्वाज	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री टेकबहादुर कुर्रे	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
11.	श्री रंजीत कुमार गुप्ता	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री वैभव मित्तल	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री अनिल कुमार मित्तल	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	श्री आशीष कुमार सिंह	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
15.	कु. सपना सिन्हा	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	कु. पूनम सिंह	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-70/गृह-सी/परीक्षा/2014.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06-08-2014 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों

को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रवीण कुमार	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री अवधेश यादव	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री नरेंद्र कुमार राय	वा. कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री संजय पटेल	वा. कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री तरूण बैनर्जी	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	कु. मेनका चन्द्राकर	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्रीमती तरन्नुम अली	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्री तरूण कुमार किरण	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

9.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तिवारी	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
10.	श्री कृष्ण कुमार सिदार	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	सुश्री सुनीति पैकरा	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	कु. पूनम खोब्रागढ़े	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
13.	कु. सीमा श्रीवास्तव	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	श्री नितिन कुमार गर्ग	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
15.	श्रीमती श्वेता यादव	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
16.	श्री नरेन्द्र भारती गोस्वामी	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
17.	श्री रविकुमार	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	श्रीमती अनुजा चतुर्वेदी	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
19.	श्री रामनरेश चौहान	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
20.	श्रीमती वर्षा गजपाल	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
21.	श्री सुमित कुमार महोबिया	वा. कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
22.	श्री सजल कुमार शुक्ला	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
23.	श्रीमती सपना मुखर्जी	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	डॉ. विद्यानंद बोरकर	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
25.	श्री लोकेश्वर सिंह कंवर	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री मुकेश छविन्द्र	वा. कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	कु. ज्योति शर्मा	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
28.	श्रीमती निशा ओगरे	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
29.	श्री डैहर लाल साहू	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
30.	श्री अमितेष कुमार नेताम	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
31.	श्री अतुल मिंज	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
32.	श्रीमती प्रीति मिश्रा	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

33.	श्री दयाशंकर नेताम	वा. कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-71/गृह-सी/परीक्षा/2014.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "वन विधि" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती विजया रात्रे	भा.व.से. (प्रशिक्षु)	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-74/गृह-सी/परीक्षा/2014.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संजय पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री तरूण बैनर्जी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री तरूण कुमार किरण	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्रीमती तरन्नुम अली	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

5.	श्रीमती प्रीति मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	कु. पूनम खोब्रागढ़े	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री लोकेश्वर सिंह कंवर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री अमितेष कुमार नेताम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	कु. ज्योति शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
10.	श्रीमती निशा ओगरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री कृष्ण कुमार सिदार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री प्रमोद कुमार धृतलहरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री सजल कुमार शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	कु. सीमा श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री रामनरेश चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	डॉ. विद्यानंद बोरकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्रीमती दीप्ति तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्रीमती सपना मुखर्जी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री सुमित कुमार महोबिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
20.	श्रीमती अनुजा चतुर्वेदी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	सुश्री सुनीति पैकरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-76/गृह-सी/परीक्षा/2014.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री आई. कल्याण एलिसेना	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री संतोष कुमार सिंह	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री अभिषेक मीणा	पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री सदानन्द कुमार	पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-88/गृह-सी/परीक्षा/2014.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 07 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पद नाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सूरज कुमार साहू	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री विनोज कुमार कोचे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री प्रमोद कुमार टण्डन	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	कु. रूबी सलामे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्रीमती एमेश्वरी साहू	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
7.	श्री शिवनाथ सिंह खुशराम	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री जितेन्द्र कुमार धिरही	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री संदीप वर्मा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	सुश्री प्रचेता किरण छिदेहा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री चंद्रपाल दीवान	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
12.	कु. सुमन राज	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री सागर तिग्गा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्रीमती आरती झलरिया	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	कु. रेवती सूर्यवंशी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
16.	श्री दिलीप कुमार मण्डावी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-58/गृह-सी/परीक्षा/2014.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नरेन्द्र कुमार राय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री प्रियल गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री तरूण बैनर्जी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री संजय पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री पुंगव कुमार चन्द्राकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्रीमती तरन्नुम अली	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्रीमती हेमा श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री प्रवीण कुमार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री अवधेश यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
10.	डॉ. विद्यानंद बोरकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री लोकेश्वर सिंह कंवर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्रीमती सपना मुखर्जी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	कु. सीमा श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री सजल कुमार शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्रीमती वर्षा गजपाल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री कृष्ण कुमार सिदार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	सुश्री सुनीति पैकरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	कु. पूनम खोब्रागढ़े	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री अतुल मिंज	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्रीमती प्रीति मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री प्रमोद कुमार धृतलहरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्रीमती निशा ओगरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	कु. ज्योति शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-60/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त, 2014 को दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	प्रथम प्रश्न पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री भरत कौशिक	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	सुश्री पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहायक अधीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री रामप्रसाद चौहान	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	कु. दिव्या अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
8.	श्री नीरजकांत तिवारी	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन	सहायक अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-64/गृह-सी/परीक्षा/2014.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "अधिनियम तथा नियम" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अश्वनी कुमार पटेल	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कु. क्षमा कौशिक	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	सुश्री रूबी सलामे	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री तुषार त्रिपाठी	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री विनोज कुमार कोचे	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्री सूरज कुमार साहू	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्रीमती शिरीन देवांगन	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती एमेश्वरी साहू	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
10.	सुश्री नीति वर्मा	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री डाकेश्वर प्रसाद साहू	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री छत्रपाल सिंह बिंझवार	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री जनेश कुमार दीवान	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री प्रमोद कुमार टंडन	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्रीमती सुभद्रा कश्यप	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

17.	कु. रिचा सिंह	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	श्री तरूण कुमार राठिया	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री सागर तिग्गा	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री संदीप वर्मा	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
21.	सुश्री प्रचेता किरण छिदेहा	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	कु. सुमन राज	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	श्री चंद्रपाल दीवान	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्रीमती आरती झलरिया	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री शिवनाथ सिंह खुशराम	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री जितेन्द्र कुमार धिरही	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
27.	कु. रेवती सूर्यवंशी	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
28.	श्री प्रफुल्ल कुमार जोशी	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

29.	श्रीमती कुसुम लता नेताम	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
30.	श्री बजरंग साय	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री रविशंकर नेताम	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री दिलीप कुमार मंडावी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री लोकेश कुमार खापर्डे	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री परमेश्वर साहू	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्री संजय कुमार सिंह	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
36.	कु. आस्था राजपूत	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)

37.	श्री अविनाश पाण्डेय	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री जगमोहन एक्का	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	श्री ओंकार साय	सहायक प्रबंधक	सश्रेय से उत्तीर्ण
40.	श्री उत्तम कुमार दुबे	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-66/गृह-सी/परीक्षा/2014.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दीपक कुमार मण्डावी	जिला पंजीयक	प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-67/गृह-सी/परीक्षा/2014.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों, राज्य की नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती एमेश्वरी साहू	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्रीमती शिरीन देवांगन	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री सूरज कुमार साहू	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री विनोज कुमार कोचे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री तुषार त्रिपाठी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्रीमती विद्या भण्डारी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री पार्वती ठाकुर	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री प्रमोद कुमार टंडन	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री प्रांचल साव	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री शैलेन्द्र सिंह	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	कु. रूबी सलामे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
12.	सुश्री क्षमा कौशिक	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	सुश्री नीति वर्मा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री डाकेश्वर प्रसाद साहू	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री छत्रपाल सिंह बिंझवार	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री जनेश कुमार दीवान	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

19.	कु. रिचा सिंह	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री तरूण कुमार राठिया	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री सागर तिग्गा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री संदीप वर्मा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
23.	सुश्री प्रचेता किरण छिदेहा	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
24.	कु. सुमन राज	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री चंद्रपाल दीवान	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री प्रफुल्ल कुमार जोशी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
27.	कु. रेवती सूर्यवंशी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री जितेन्द्र कुमार धिरही	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्रीमती आरती झलरिया	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्री शिवनाथ सिंह खुशराम	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

31.	श्रीमती कुसुम लता नेताम	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री बजरंग साय	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री रविशंकर नेताम	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री दिलीप कुमार मंडावी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्री लोकेश कुमार खापर्डे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
36.	कु. आस्था राजपूत	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)

37.	श्री अविनाश पाण्डेय	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री जगमोहन एक्का	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
39.	श्री ओंकार साय	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री उत्तम कुमार दुबे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री जयप्रकाश रात्रे	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
42.	श्री अवधेश कुमार कुशवाहा	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-73/गृह-सी/परीक्षा/2014.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अभिषेक मीना	पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री आई. कल्याण एलेसेला	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री संतोष कुमार सिंह	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री सदानन्द कुमार	पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-82/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सा.प्र.वि. एवं राजस्व विभाग के सहायक जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं भू-अभिलेख के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 07 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम" (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	रिमार्क (4)
1.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री प्रदीप कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री प्रभाकर पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री उपेन्द्र किण्डो	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री आदित्य कुंजाम	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री मनीष देव साहू	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती प्रेमलता मंडावी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री दशरथ सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री भागवत प्रसाद जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री अनिल कुमार सिदार	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	कु. दीप्ति गौते	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	कु. अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

15.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री रामप्रसाद चौहान	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री गौतम कुमार कुर्रे	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
19.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
20.	कु. दिव्या अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री गौरव कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री विनीत नंदनवार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	कु. पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

24.	श्री राजेन्द्र कुमार कटारा	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री बजरंग कुमार दुबे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्री दिनेश कुमार नाग	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री चित्रकांत चाली ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्री मुकेश देवांगन	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
36.	श्री शशि शेखर मिश्रा	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
37.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)

38.	श्री नीरज कांत तिवारी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
39.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
42.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
43.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
44.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
45.	श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
46.	श्री रूपेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
47.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-90/गृह-सी/परीक्षा/2014.—जनसम्पर्क विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 07 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री छेदीलाल तिवारी	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री आनंद प्रकाश सिंह सोलंकी	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-93/गृह-सी/परीक्षा/2014.—कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "लेखा-प्रथम" (पुस्तकों सहित) एवं प्रश्न पत्र "लेखा-द्वितीय" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. कु. ज्योत्स्ना मिश्रा	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री उमेश कुमार पैकरा	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री जयपाल सिंह मरावी	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री अरूणा कुजूर	वरि. उद्यान विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 09-106/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 08 अगस्त, 2014 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नन्द जी पाण्डेय	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	कु. रानू मैथ्यूज	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्रीमती पार्वती पटेल	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	कु. नीता ठाकुर	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री सुरेश कुमार साहू	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री इन्द्रजीत बर्मन	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री आदित्य कुंजाम	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री उपेन्द्र किण्डो	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
12.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
14.	श्री जगदीश सोनकर	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री राजेन्द्र कुमार कटारा	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री दिनेश कुमार नाग	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
17.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक जुनेजा, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 09-63/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 एवं 06 अगस्त, 2014 को प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. तरूणा साहू	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री आदित्य कुंजाम	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	कु. नम्रता गांधी	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री प्रेमकुमार पटेल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री दुर्गेश कुमार वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री उपेन्द्र किण्डो	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री राकेश साहू	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती रंजना आहूजा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री मनीष देव साहू	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री अविनाश भोई	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	सुश्री मोनिका सिन्हा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	कु. लविना पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	सुश्री अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री सुमीत अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री हरिओम द्विवेदी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री भागवत प्रसाद जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री अनिल कुमार सिदार	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्रीमती प्रेमलता मण्डावी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
22.	श्री दशरथ सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
23.	कु. दीप्ति गौते	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	सुश्री सूर्यकिरण तिवारी	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
25.	श्री गौरव कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	श्री इन्द्रजीत सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री रामप्रसाद चौहान	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	श्री देवेन्द्र पटेल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री विनीत नंदनवार	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
32.	कु. दिव्या अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
35.	कु. पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
36.	श्री जगदीश सोनकर	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
37.	श्री राजेन्द्र कुमार कटारा	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
39.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री मुकेश देवांगन	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री शशि शेखर मिश्रा	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
42.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
43.	श्री चित्रकांत चाली ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
44.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
45.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
46.	श्री बजरंग कुमार दुबे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
47.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
49.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
50.	श्री शिवनाथ बघेल	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)	
51.	श्री नीरजकांत तिवारी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
52.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
53.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
54.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
55.	श्री रवि कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
56.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
57.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
58.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
59.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	श्रीमती नम्रता आनन्द डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
61.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
62.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
63.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
64.	श्री रूपेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
65.	श्री गुड्डू लाल जगत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
66.	श्री अजीत वसन्त	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2015

क्रमांक 180 एफ 6-4/22/सा.आ. एवं जा. जनगणना 2011/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सी.सी. 2011) के दौरान दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत/प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने के लिए एतद्द्वारा समय सीमा की स्वीकृति प्रदान करता है. कथित दावों और आपत्तियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए अब 45 दिनों की समय सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. **प्रारूप सूची का प्रकाशन :** (दिनांक 21 जनवरी 2015)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक-क्यू-16015/04/2011-एआई (आर.डी.) दिनांक 17-05-2012 द्वारा परिवहित अनुदेश पुस्तिका के अनुसार परिवारों के सामाजिक-आर्थिक (जाति को छोड़कर) विवरण दर्शाने वाली प्रारूप सूची दिनांक 21 जनवरी 2015 को निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित की जावेगी.

2. **ग्रामसभा की बैठक बुलाना :—**
दिशानिर्देश अनुसार प्रारूप सूची के प्रकाशन से 10 दिवस के भीतर ग्रामसभा की बैठक सार्वजनिक समीक्षा हेतु बुलाया जाना अपेक्षित है. ग्रामसभा की बैठक राज्य में वर्तमान में प्रभावशील पंचायत चुनाव आचार संहिता समाप्ति की तिथि से आगामी 10 दिवस में आयोजित की जावेगी. इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा. यह ग्रामसभा प्रारूप सूची में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी रहवासियों/परिवारों की समीक्षा करेगी. ग्रामसभा द्वारा प्रदर्शित प्रारूप सूची की जानकारी में इंगित त्रुटियों को दर्ज किया जाएगा. तथा आगामी कार्यवाही की जावेगी.

3. **पदांकित जनपद पंचायत स्तर अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में दावे और आपत्तियों के आवेदनों की प्राप्ति** (दिनांक 10 फरवरी 2015 तक)
विहित प्रपत्र में, दावे और आपत्तियों की प्रस्तुति और प्राप्ति का कार्य, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 21 दिवसों तक किया जा सकता है, अर्थात् दावे और आपत्ति दिनांक 10 फरवरी 2015 तक की प्राप्त हो जाने चाहिए.

4. **दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम दिनांक** (19 फरवरी 2015)
जनपद पंचायत स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा और आपत्तियों का निराकरण दिशानिर्देश अनुसार, 07 दिवस के भीतर हो जाने चाहिए, तथापि प्रारूप सूची प्रकाशन के 30वें दिन तक अर्थात् 10 फरवरी 2015 तक प्राप्त समस्त दावे और आपत्ति दिनांक 19 फरवरी 2015 तक अनिवार्यतः निराकृत हो जाने चाहिए.

5. **जिला स्तर पर पदांकित प्राधिकारी द्वारा अपील याचिकाओं की प्राप्ति :—** (दिनांक 26 फरवरी 2015)
जनपद पंचायत स्तर के निर्णय से असन्तुष्ट आवेदक द्वारा निर्णय ज्ञात होने के 07 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अभ्यावेदन किया जाना होगा. अपील याचिकाओं की प्रस्तुति/प्राप्ति, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 37वें दिन तक अर्थात् दिनांक 26 फरवरी 2015 तक की जावेगी.

6. **अपील के निपटारे की अंतिम दिनांक** (05 मार्च 2015)
प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की सुनवाई और उन पर निर्णय के लिए अन्तिम समय-सीमा प्रारूप सूची प्रकाशन के 44वें दिन तक है अर्थात् अपील याचिकाएं 05 मार्च 2015 तक अनिवार्य रूप से निराकृत हो जाने चाहिए.

7. **अंतिम सूची का प्रकाशन** (दिनांक 06 मार्च 2015)
अंतिम सूची का प्रकाशन की कार्यवाही, प्रारूप सूची के प्रकाशन के 45वें दिन अर्थात् दिनांक 06 मार्च 2015 से भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा.

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2015

क्रमांक 184 एफ 6-4/22/सा.आ. एवं जा. जनगणना 2011/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जांजगीर-चांपा एवं राजनांदगांव के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सी.सी. 2011) के दौरान दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत/प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 5036 एफ 6-4/22/सा.आ. एवं जा. जनगणना 2011/2014 दिनांक 24-12-2014 में निर्धारित समय-सीमा संशोधित कर एतद्द्वारा नवीन समय सीमा की स्वीकृति प्रदान करता है. कथित दावों और आपत्तियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए अब 45 दिनों की समय सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. **प्रारूप सूची का प्रकाशन :** (दिनांक 21 जनवरी 2015)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक-क्यू-16015/04/2011-एआई (आर.डी.) दिनांक 17-05-2012 द्वारा परिवहित अनुदेश पुस्तिका के अनुसार परिवारों के सामाजिक-आर्थिक (जाति को छोड़कर) विवरण दर्शाने वाली प्रारूप सूची दिनांक 21 जनवरी 2015 को निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित की जावेगी.

2. **ग्रामसभा की बैठक बुलाना :—**
दिशानिर्देश अनुसार प्रारूप सूची के प्रकाशन से 10 दिवस के भीतर ग्रामसभा की बैठक सार्वजनिक समीक्षा हेतु बुलाया जाना अपेक्षित है. ग्रामसभा की बैठक राज्य में वर्तमान में प्रभावशील पंचायत चुनाव आचार संहिता समाप्ति की तिथि से आगामी 10 दिवस में आयोजित की जावेगी. इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा. यह ग्रामसभा प्रारूप सूची में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी रहवासियों/परिवारों की समीक्षा करेगी. ग्रामसभा द्वारा प्रदर्शित प्रारूप सूची की जानकारी में इंगित त्रुटियों को दर्ज किया जाएगा. तथा आगामी कार्यवाही की जावेगी.

3. **पदांकित जनपद पंचायत स्तर अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में दावे और आपत्तियों के आवेदनों की प्राप्ति** (दिनांक 10 फरवरी 2015 तक)
विहित प्रपत्र में, दावे और आपत्तियों की प्रस्तुति और प्राप्ति का कार्य, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 21 दिवसों तक किया जा सकता है, अर्थात् दावे और आपत्ति दिनांक 10 फरवरी 2015 तक की प्राप्त हो जाने चाहिए.

4. **दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम दिनांक** (19 फरवरी 2015)
जनपद पंचायत स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा और आपत्तियों का निराकरण दिशानिर्देश अनुसार, 07 दिवस के भीतर हो जाने चाहिए, तथापि प्रारूप सूची प्रकाशन के 30वें दिन तक अर्थात् 10 फरवरी 2015 तक प्राप्त समस्त दावे और आपत्ति दिनांक 19 फरवरी 2015 तक अनिवार्यतः निराकृत हो जाने चाहिए.

5. **जिला स्तर पर पदांकित प्राधिकारी द्वारा अपील याचिकाओं की प्राप्ति :—** (दिनांक 26 फरवरी 2015)
जनपद पंचायत स्तर के निर्णय से असन्तुष्ट आवेदक द्वारा निर्णय ज्ञात होने के 07 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अभ्यावेदन किया जाना होगा. अपील याचिकाओं की प्रस्तुति/प्राप्ति, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 37वें दिन तक अर्थात् दिनांक 26 फरवरी 2015 तक की जावेगी.

6. **अपील के निपटारे की अंतिम दिनांक** (05 मार्च 2015)
प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की सुनवाई और उन पर निर्णय के लिए अन्तिम समय-सीमा प्रारूप सूची प्रकाशन के 44वें दिन तक है अर्थात् अपील याचिकाएं 05 मार्च 2015 तक अनिवार्य रूप से निराकृत हो जाने चाहिए.

7. **अंतिम सूची का प्रकाशन** (दिनांक 06 मार्च 2015)
अंतिम सूची का प्रकाशन की कार्यवाही, प्रारूप सूची के प्रकाशन के 45वें दिन अर्थात् दिनांक 06 मार्च 2015 से भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 52-59/तीन (एक)/18/पंचा./कार.अव./2014/361, दिनांक 10-01-2015 में उल्लेखित एवं संलग्न परिशिष्ट में अंकित स्थानों पर त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए आम निर्वाचन वर्ष 2015 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् प्रथम चरण दिनांक 28-01-2015 (बुधवार), द्वितीय चरण दिनांक 01-02-2015 (रविवार) एवं तृतीय चरण दिनांक 04-02-2015 (बुधवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014-15

मतदान-जिलेवार एवं चरणवार खण्डों की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	क्र. (3)	प्रथम चरण (4)	क्र. (5)	द्वितीय चरण (6)	क्र. (7)	तृतीय चरण (8)
1.	बिलासपुर	1	बिल्हा	1	मरवाही	1	कोटा
		2	मस्तूरी	2	गौरेला	2	तखतपुर
			-	3	पेंड्रा		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	मुंगेली	1	मुंगेली	1	पथरिया	1	मुंगेली
3.	जांजगीर-चांपा	1	डभरा	1	बलौदा	1	सक्ती
		2	जैजैपुर	2	बम्हनीडीह	2	मालखरौदा
		3	नवागढ़	3	पामगढ़	3	अकलतरा
4.	कोरबा	1	कोरबा	1	पोड़ी-उपरोड़ा	1	कटघोरा
		2	करतला		-	2	पाली
5.	रायगढ़	1	घरघोड़ा	1	सारंगढ़	1	रायगढ़
		2	लैलूंगा	2	बरमकेला	2	पुसौर
		3	धरमजयगढ़		-	3	खरसिया
		4	तमनार		-		-
6.	सूरजपुर	1	सूरजपुर	1	रामानुजनगर	1	प्रतापपुर
		2	भैयाथान	2	प्रेमनगर	2	ओडगी
7.	बलरामपुर	1	रामचंद्रपुर	1	राजपुर	1	बलरामपुर
		2	वाड्रफनगर	2	शंकरगढ़	2	कुसमी
8.	सरगुजा	1	अम्बिकापुर	1	सीतापुर	1	लुण्ड्रा
		2	लखनपुर	2	मैनपाट	2	बतौली
		3	उदयपुर		-		-
9.	कोरिया	1	मनेन्द्रगढ़	1	बैकुण्ठपुर	1	सोनहत
		2	भरतपुर		-	2	खडगवां
10.	जशपुर	1	फरसाबहार	1	कुनकुरी	1	मनोरा
		2	कांसाबेल	2	दुलदुला	2	बगीचा
		3	पत्थलगांव		-	3	जशपुर
11.	रायपुर	1	आरंग		-	1	धरसींवा
		2	अभनपुर		-	2	तिल्दा
12.	बलौदाबाजार	1	सिमगा		-	1	कसडोल
		2	भाटापारा		-	2	बिलाईगढ़
		3	पलारी		-		-
		4	बलौदाबाजार		-		-
13.	गरियाबंद	1	फिंगेश्वर	1	छुरा	1	गरियाबंद
		2	देवभोग		-	2	मैनपुर
14.	महासमुन्द	1	पिथौरा		-	1	महासमुन्द
		2	बसना		-	2	बागबाहरा
		3	सरायपाली		-		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	धमतरी	1	धमतरी		–	1	मगरलोड
		2	कुरूद		–	2	नगरी
16.	बेमेतरा		–	1	साजा	1	बेमेतरा
			–	2	बेरला	2	नवागढ़
17.	दुर्ग	1	धमधा	1	दुर्ग	1	पाटन
18.	बालोद	1	डौंडीलोहारा	1	गुण्डरदेही	1	बालोद
		2	डौंडी		–	2	गुरूर
19.	राजनांदगांव	1	अम्बागढ़-चौकी	1	डोंगरगढ़	1	राजनांदगांव
		2	मोहला	2	छुरिया	2	खैरागढ़
		3	मानपुर	3	डोंगरगांव	3	छुईखदान
20.	कबीरधाम	1	कवर्धा	1	बोड़ला	1	पण्डरिया
		2	सहसपुर-लोहारा		–		–
21.	कोण्डागांव	1	कोण्डागांव	1	फरसगांव	1	केशकाल
			–	2	माकड़ी	2	बड़ेराजपुर
22.	बस्तर	1	जगदलपुर	1	बस्तर	1	बास्तानार
		2	बकावण्ड	2	तोकापाल	2	लोहाण्डीगुड़ा
			–		–	3	दरभा
23.	नारायणपुर	1	नारायणपुर		–	1	ओरछा
24.	उ.ब. कांकेर	1	अन्तागढ़	1	कांकेर	1	भानुप्रतापपुर
		2	कोयलीबेड़ा	2	चारामा	2	दुर्गूकोन्दल
			–	3	नरहरपुर		–
25.	द.ब. दन्तेवाड़ा	1	कटेकल्याण	1	दंतेवाड़ा	1	कुंआकोण्डा
			–	2	गीदम		–
26.	सुकमा	1	छिंदगढ़	1	सुकमा	1	कोन्टा
27.	बीजापुर	1	बीजापुर		–	1	भोपालपट्नम
		2	भैरमगढ़		–	2	ऊसूर
	योग	**55**		**38**		**53**	

आई. आर. देहारी,
सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2011-12.—भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-गोर्रा, प.ह.नं.-26, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 6.484 हे. केलो परियोजना अंतर्गत राईतराई माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4(1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 02-04-2012 तथा दिनांक 24-08-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रभावित निम्नांकित कुल ख. नं. 71 कुल रकबा 6.484 हे. भूमि नहर एलाइनमेंट में परिवर्तन होने के कारण प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-गोर्रा

खसरा नं. (1)	रकबा (2)	खसरा नं. (3)	रकबा (4)	खसरा नं. (5)	रकबा (6)	खसरा नं. (7)	रकबा (8)
232/2	0.073	166/1	0.036	166/2	0.219	180	0.004
186/1	0.061	178/1	0.049	201	0.113	185	0.138
596/1	0.081	695/1	0.126	199	0.194	599	0.145
200	0.008	175	0.121	569	0.206	202/1	0.097
206/1	0.081	206/2	0.061	207/3	0.125	1190	0.065
230/2	0.028	1108/4	0.016	231	0.004	233	0.113
237/1ग	0.194	556/1	0.041	237/2	0.145	600/2	0.049
512/2	0.041	530/1	0.170	514	0.061	515	0.065
556/2	0.012	558/1	0.178	600/1	0.057	559/1	0.045
559/2	0.101	597/1	0.299	513/2ख	0.246	513/2ग	0.036
1097	0.020	1098	0.032	1099/3	0.089	513/1	0.053
1099/1	0.016	1117/3	0.004	1108/3	0.018	1108/6	0.014
1108/5	0.050	1109/1	0.150	1122/3	0.073	1109/3	0.032
1118	0.012	1119/1	0.069	1119/2	0.129	1119/3	0.081
1172	0.097	1174/3	0.016	1173	0.020	1174/1	0.133
1172/2	0.020	173	0.145	1182	0.405	1186/1	0.057
1186/2	0.121	1188/2	0.089	172/1	0.138	178/2	0.073
695/2	0.125	168	0.226	165/2	0.073		

योग 71, कुल रकबा 6.484

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2011-12.—भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-राईतराई, प.ह.नं.-26, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.261 हे. केलो परियोजना अंतर्गत राईतराई माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4(1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 02-04-2012 तथा दिनांक 24-08-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रभावित निम्नांकित कुल ख. नं. 29 कुल रकबा 1.261 हे. भूमि नहर एलाइनमेंट में परिवर्तन होने के कारण प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-राईतराई

खसरा नं. (1)	रकबा (2)	खसरा नं. (3)	रकबा (4)	खसरा नं. (5)	रकबा (6)	खसरा नं. (7)	रकबा (8)
164/1	0.105	165	0.057	139	0.129	166/1	0.105
166/2	0.024	175/16	0.032	182/10	0.002	182/6	0.016
175/13	0.004	175/2	0.012	182/7	0.045	182/3	0.008
175/5	0.049	175/10	0.004	175/15	0.008	182/8	0.041
175/7	0.073	175/9	0.024	175/14	0.006	175/8	0.065
182/9	0.041	138/5	0.093	164/2	0.041	133/2	0.061
133/1	0.004	297/1	0.053	133/3	0.045	138/2	0.049
133/6	0.065						

योग 29, कुल रकबा 1.261

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2011-12.—भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-जामपाली, प.ह.नं.-26, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.004 हे. केलो परियोजना अंतर्गत राईतराई माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4(1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 02-04-2012 तथा दिनांक 24-08-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रभावित निम्नांकित कुल ख. नं. 43 कुल रकबा 2.004 हे. भूमि नहर एलाइनमेंट में परिवर्तन होने के कारण प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-जामपाली

खसरा नं. (1)	रकबा (2)	खसरा नं. (3)	रकबा (4)	खसरा नं. (5)	रकबा (6)	खसरा नं. (7)	रकबा (8)
67/1	0.008	80/1	0.020	83/1	0.093	88	0.028
85/1	0.077	110/2	0.073	109/3	0.036	101/2	0.020
101/8	0.032	80/2	0.036	83/2	0.069	108/2	0.085
108/2	0.036	87/2	0.049	86/2	0.036	101/13	0.050
68/2	0.016	80/3	0.065	86/3	0.024	101/12	0.050
76	0.045	80/5	0.004	86/4	0.032	109/2	0.049
77	0.089	81/2	0.176	109/4	0.081	133/2	0.024
78/1	0.032	85/2	0.024	87/1	0.033	110/2	0.049
107/2	0.077	82	0.101	113/3	0.012	110/9	0.036
78/2	0.020	86/1	0.032	87/3	0.024	87/4	0.034
87/5	0.034	107/1	0.085				

योग 43, कुल रकबा 2.004

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्रमांक/8880/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-मानपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ेगांव, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.41 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
27/1, 28/2, 29	0.29
25/3, 41/5	0.26
23	0.22
41/1	0.03
41/3	0.23
41/4	0.40
41/7	0.05
64/1	0.43
63, 64/2	0.42
70/4, 58/1, 70/2	0.67
57/1	0.27
59	0.97
52	0.88
57/2	53

	(1)	(2)
	28/1, 30/1, 31	0.09
	33	0.67
योग		6.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औंधी जलाशय अंतर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छिछोर उमरिया, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	187/2	0.028
	224/1	0.012
	1580/2	0.020
योग	3	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ-केलो परियोजना अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ातराई, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-64.731 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
650/1	0.032
651/2	0.065
653/2	0.053
653/3	0.053
657/1	0.072
657/2	0.069
663/1	0.036
663/2	0.061
663/3क	0.025
663/3ख	0.064
663/4	0.089
675	0.129
676	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
673/1	0.145	911/1ख/2	0.089
673/2	0.032	911/1ख/3	0.089
673/2 ग/3	0.020	911/1ग	0.057
720/2क	0.174	911/1घ/1	0.054
720/2ख	0.087	911/1घ/2	0.055
720/2ग	0.087	912/1	0.085
720/3	0.117	912/2	0.114
720/4	0.117	672/2घ, 671/2घ	0.020
721	0.769	672/2ङ, 671/2ङ	0.028
722/1	0.077	671/2, 673/3 घ	0.036
722/2	0.012	671/2क, 673/3	0.069
723/1	0.012	710/1	0.348
723/2	0.040	710/2	0.348
727/3	0.024	710/3	0.348
723/4	0.113	717/1	0.105
723/5	0.158	717/2	0.105
723/6	0.053	717/3	0.105
724/1	0.024	717/4	0.210
724/2	0.028	717/5	0.105
724/3	0.028	719/1क	0.065
740/1	0.258	719/1ख	0.032
740/2	0.296	719/1ग	0.064
741	0.583	719/1घ	0.032
742/1	0.088	719/2, 719/3	0.028
742/2	0.600	719/4	0.024
746/2क	0.093	719/5	0.194
746/2ख	0.093	719/6	0.053
746/3क	0.170	719/7	0.178
746/3ख	0.242	719/8	0.117
746/4	0.073	720/1	0.113
746/5	0.045	1132/5	0.048
747	0.591	1132/6	0.048
748	0.162	1132/7	0.048
749	0.008	1132/8	0.049
761/1	0.049	1132/9	0.049
762	0.049	1132/10	0.049
763/2	0.040	1132/11	0.048
908/2	0.101	1132/12	0.048
909/1	0.210	1132/13	0.048
909/2	0.210	1133/1	0.332
908/3	0.210	724/4	0.028
911/1क/1.2	0.112	725/1	0.048
911/1क/4.5	0.053	725/2	0.061
911/1क/6.7	0.053	725/3	0.065
911/1क/2	0.032	725/4	0.065
911/1क/3	0.057	727/1	0.081
911/1ख/1	0.486	727/2	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
727/3	0.405	774/1	0.121
727/4	0.202	783/1ख	0.121
727/5	0.202	903	0.698
727/6	0.239	905	0.101
727/7	0.081	906/2	0.158
728	0.397	906/1	0.101
729	0.340	1293/2	0.324
730	0.656	1294/1	0.020
731	0.158	1295	0.032
732	0.113	1296	0.096
733	0.813	1297	0.028
734	0.040	1298	0.061
735	0.061	1299	0.101
736	0.239	1300/1	0.109
737	0.109	1300/2	0.109
738/1	0.264	1301, 1304/1	0.352
738/2	0.245	912/3	0.089
739/1	0.405	913	0.304
739/5	0.117	1015/1	0.040
1148/3	0.320	1015/3	0.056
1148/4	0.603	1015/4	0.040
1148/5	0.405	1015/5	0.060
1148/6	0.586	1015/6	0.040
1148/7	0.632	1015/7	0.040
1148/8	0.324	1015/8	0.040
1148/10	0.543	1015/9	0.040
1148/11	0.085	1015/10	0.040
1149/1	0.465	1015/11	0.040
1149/2	0.405	1015/2	0.243
764/1	0.049	1016/1	0.765
764/2	0.040	1016/2	0.303
765	0.057	1017	0.125
766	0.462	1018/1	0.174
767/1	0.162	1018/2	0.040
767/2	0.166	1019	0.154
768	0.328	1020/1	0.057
769	0.312	1020/2	0.016
770/1	0.117	1020/3	0.016
770/1क	0.095	1021/1	0.089
770/1ख	0.095	1021/2	0.105
770/3	0.097	1025	0.045
771/1	0.587	1026	0.049
772/1क	0.279	1312/1	0.405
772/1ख	0.170	1312/2	0.324
772/1ग	0.561	1312/3	0.040
772/2	0.040	1312/4	0.057
772/3	0.206	1312/5	0.121
773/1	0.186	1313/1क	0.049
773/2	0.733		

(1)	(2)	(1)	(2)
1313/1ख	0.020	1150/2	0.405
1313/2	0.113	1151/1क	0.106
1315	0.190	1151/1ख	0.202
1316	0.057	1151/2	0.425
1133/2	0.206	1152/1	0.063
1133/3	0.157	1152/2	0.227
1134/1	0.287	1153/1	0.134
1134/2	0.217	1157/1	0.349
1134/3	0.202	1157/2	0.489
1134/4	0.405	1157/3	0.234
1135/1, 1136/1	0.138	1159/1	0.340
1135/2, 1136/2	0.166	1288/2	0.040
1135/3, 1136/3	0.348	1289/1	0.117
1135/4, 1136/4	0.049	1289/2	0.081
1135/6, 1136/6	0.097	1290/1	0.032
1137	0.737	1290/2	0.263
1138	0.551	1290/3	0.028
1139/1	0.120	1290/4	0.061
1139/3	0.119	1291/4क	0.494
1140/1	0.227	1291/4ख	0.494
1140/3	0.226	1291/3	0.320
1141/1	0.045	1291/4	0.113
1141/2	0.045	1291/5	0.405
1141/3	0.045	1291/6	0.340
1142/1	0.040	1291/7	0.352
1142/2	0.040	1292/1	0.425
1142/3	0.040	1292/2	1.141
1143/1	0.069	1293/1	0.162
1143/2	0.069	1130/4	0.039
1144	0.138	1302	0.045
1145/1	0.008	1303/1	0.049
1146/1	0.040	1303/2, 1306/1, 1307/1	0.206
1146/3	0.049	1305/1	0.623
1147/1	0.206	1305/3	0.409
1147/2	0.271	1306/3	0.489
1147/3	0.134	1307/3	0.219
1147/4	0.206	1307/4	0.138
1148/1	0.603	1307/5क	0.186
1148/2	0.603	1307/5ख	0.008
1029/2	0.016	1307/6	0.097
1130/3	0.040	1307/8	0.093
1130/12	0.048	1308/1	0.154
1149/3	0.444	1308/3	0.312
1149/4	0.242	1308/4	0.154
1149/5	0.449	1309/1क	0.218
1149/6	0.202	1309/1ख	0.219
1150/1	0.267	1309/3	0.539

(1)	(2)
1310/1	0.121
1310/2	0.162
1311/1	0.129
1311/3	0.769
1311/4	0.081
1311/5क	0.203
1311/5ख	0.202
1311/6	0.142
1311/8	0.121
1311/9क	0.235
1311/9ख	0.008
1311/10क	0.123
1311/10ख	0.016
1311/10ग	0.124
1130/14	0.049
1130/15	0.049
1317/1	0.057
1317/2	0.089
1317/3	0.040
1318	0.081
1332/1	0.008
1332/2	0.041
1332/3	0.040
1332/4	0.040
1333/1	0.077
1333/2	0.194
1338	0.024
1339	0.080
1340/2	0.016
1340/3ख	0.595
1341	2.371
1342	1.011
1343	0.809
738/1350	0.308
738/1351	0.486
766/1352/1	0.324
766/1352/2	0.334
766/1353	0.239
766/1354	0.134
764/1355	0.146
737/1351/1	0.101
737/1351/2	0.909
1027	0.049
1028	0.118
1029/1	0.089
1029/3	0.008
1029/4	0.009
1029/5	0.009
1029/6	0.009
1029/7	0.009
1029/8	0.009
1029/9	0.009
1030/1	0.097
1030/2	0.024
1031/1	0.182
1031/2	0.040
1031/3	0.072
1130/1	0.030
1130/2	0.039
7761/1ख	0.008
1314/1क	0.049
1130/5	0.039
1130/6	0.039
1130/7	0.039
1130/8	0.039
1130/9	0.039
1130/10	0.039
1130/11	0.039
776/2क	0.089
1314/1खा	0.020
1130/16	0.008
1130/17	0.040
1130/18	0.040
1131/1	0.050
1131/3क	0.067
1131/3ख	0.065
1132/1	0.050
910/2	0.081
1314/2	0.101
1029/10	0.009
1029/11	0.009
1130/13	0.049
1132/3	0.049
1132/4	0.049
1132/2	0.049
672/2ख	0.081
1028	0.118
योग 357	64.731

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-जकेला, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-86.496 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
389/1	0.028
390/2	0.069
391/1	0.086
391/2	0.243
391/3	0.121
391/4	0.121
392	0.340
393/1	0.360
393/3	0.363
393/4	0.081
394/1	0.243
417/1	0.093
417/2	0.385
419	0.182
420/1	0.021
420/2	0.222
420/3	0.288
420/4	0.114
420/5	0.138
420/7	0.024
420/9	0.243
435/2ख	0.202
436	0.295
437/1	0.170
437/2	0.129
437/3	0.178
437/4	0.061
437/5	0.061
437/6	0.130
437/7	0.020
437/8	0.016
438/1	0.195
438/2	0.202
439/2	0.033
441/1	0.290
441/2	0.113
441/3	0.061
443/1	0.095
443/2	0.139
443/3	0.054
443/4	0.101
443/5	0.097
461/4	0.085
462	0.757
463	0.882
464/1	0.194
464/2	0.194
465	1.076
466	0.263
467	0.255
468	0.109
470/1	0.089
470/2	0.093
471/1	0.393
471/2	0.384
472/1	0.093
472/2	0.098
473	0.914
474/1	0.381
474/2	0.198
474/3	0.125
475	0.409
477/1	0.474
494	0.607
495	1.052
496	0.117
497	0.040
498/1	0.249
498/2	0.202
498/3	0.440
498/4	0.292
498/5	0.210
498/6	0.101

(1)	(2)	(1)	(2)
498/7	0.101	547/3	0.366
498/8	0.036	547/4	0.425
498/9	0.097	549/1	0.039
498/10	0.123	549/2	0.363
498/11	0.069	550/1	0.113
498/12	0.097	550/2	0.112
498/13	0.069	551	0.849
498/14	0.055	443/6	0.202
499	0.121	444/1	0.162
500	0.077	444/2	0.906
501/1	0.365	444/3	0.012
420/10	0.202	444/4	0.417
420/11	0.098	444/5	0.482
421/1	0.409	444/6	0.482
422/1	0.304	444/7	0.482
422/3	0.336	444/8	0.483
423	0.429	445/1	0.093
424	0.093	445/2	0.093
425	0.182	446/1	0.032
426	0.150	446/2	0.033
427	0.486	447/1	3.427
428	0.040	447/2	0.202
429/1	0.333	447/3	0.032
430	0.186	447/4	0.020
431/1	0.563	450	1.113
432/1	0.069	454/6	0.046
432/2	0.068	454/7	0.047
432/3	0.069	455/1	0.405
433/1	0.198	455/2	0.226
433/2	0.202	456	1.173
433/3	0.048	457	1.172
433/4	0.065	458	0.190
433/5	0.065	459	0.295
435/1क	0.155	460/1	0.590
435/1ख	0.098	460/2	0.348
435/1ग	0.222	581/1	0.093
435/1घ	0.202	581/2	0.093
435/1ङ	0.101	582	0.101
544/3	0.102	583	0.057
544/4	0.101	584	1.263
545/1	0.121	636/1	0.181
545/2	0.061	636/2	0.369
546/1	0.109	636/3	0.121
546/2	0.202	637	0.283
546/3	0.121	638/1	0.162
546/4	0.159	638/2	0.162
547/1	0.146	638/3	0.077
547/2	0.125	638/4	0.077

(1)	(2)	(1)	(2)
639/1क, 639/1ख	0.701	501/3क	0.304
639/2	0.170	501/3ख	0.121
639/3	0.202	501/4	0.142
477/2	0.170	501/5	0.142
477/3	0.158	501/6	0.077
477/4	0.097	502/2	0.202
478	0.530	504	4.692
480/1	0.535	506	0.170
480/2	0.178	507/1	0.829
481/1	0.061	507/2	0.202
481/2	0.061	507/3	0.292
483/1	2.019	507/4	0.121
483/2	0.348	507/5	0.162
483/3	0.418	508	0.571
483/4	0.263	509	0.170
483/5	0.190	535	0.267
483/6	0.244	537	0.417
484/1	0.121	538	1.263
484/2	0.243	539	0.235
485/1क	0.073	540/1	0.220
485/1ख	0.004	540/2	0.130
485/2क	0.220	540/3	0.130
485/2ख	0.081	540/4	0.090
485/3	0.154	540/5	0.090
485/4	0.146	461/1	0.081
486	0.279	461/2	0.223
487	0.214	571/2	0.239
488/1	0.235	572	0.393
435/1ज	0.202	573/1	1.332
435/1झ	0.121	573/2	0.202
558	0.615	573/3	0.202
559	0.510	574	0.263
560	0.105	575	0.607
562	0.178	576/1	0.164
563	0.579	576/2	0.164
564	0.405	577	0.368
565	0.235	579/1	1.118
566/1	0.081	579/2	0.101
566/2	0.534	579/3	0.040
567/1	0.210	580	0.142
567/2	0.506	540/6	0.101
568	0.376	540/7	0.101
569	0.470	542/1	0.304
460/3	0.243	552/1	0.105
488/2	0.101	552/2	0.105
489	0.267	553	1.186
490	0.210	554	0.360
501/2	0.079	555	0.040

	(1)	(2)
	556	0.162
	557	0.121
	393/5	0.466
	639/4	0.121
	639/5	0.222
	640/1	0.482
	640/2	0.482
	641	0.805
	570	0.587
	571/1	0.248
	436/1	0.095
	491	0.405
	492	0.340
	493/1	0.408
	493/2	0.413
	435/2क	0.202
	435/1छ	0.101
	435/1च	0.101
	484/4	0.146
	542/2	0.105
	542/3	0.408
	544/1	0.101
	544/2	0.303
	461/3	0.376
	460/4	0.239
	416	0.640
योग	286	86.496

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-औरदा, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.188 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.482
2	0.295
3/1	0.061
3/2	0.117
3/3	0.061
4/1	0.073
4/2	0.109
4/3	0.109
5	0.243
6	0.324
13/2	0.154
13/3	0.016
12/2, 13/3	0.016
12/3	0.089
12/5	0.016
32	0.291
33/1	0.032
33/2	0.231
33/3	0.195
34	0.259
35/1	0.134
35/2	0.133
36/1	0.073
36/2	0.033
36/3	0.012
36/4	0.073
36/5	0.032
37/1	0.202
37/2	0.024
38	0.162
46	0.093
77/1	0.405
77/2क	0.097
77/2ख	0.041
77/2ग	0.061
77/2घ	0.097
77/2च	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
158	0.502	29	0.202
159/1	0.117	30	0.194
159/2	0.170	31/1	0.101
160	0.344	31/2	0.243
161/1	0.105	212/1च	0.020
161/2	0.097	212/1छ	0.020
168/1	0.397	212/1ज	0.020
169/1	0.081	212/2	0.004
169/2	0.405	212/3	0.393
191/2, 194/2	0.066	39	0.049
191/3, 194/3	0.194	40	0.069
191/4, 194/4	0.061	41	0.081
192	0.077	42	0.073
193/1	0.041	44	0.081
193/2	0.045	45/2	0.032
195	0.085		0.113
196	0.020	45/3	0.008
197	0.020	47	0.081
199	0.016	48	0.238
200/1	0.020	49	0.490
200/2	0.065	51/1क	0.020
12/6	0.020	51/1ख	0.267
12/7	0.097	51/1ग	0.130
12/8	0.101	51/2	0.320
14/1क	0.202	59/2	0.016
14/1घ	0.028	60/3	0.053
14/2	0.016	52	0.247
15/1	0.219	53	0.717
15/2	0.138	54	1.015
16/1	0.295	57/क	0.158
16/2	0.292	57/1ख	0.267
17	0.162	59/1	0.239
18	0.178	60/1	0.283
19	0.089	60/2	0.081
20	0.214	60/4	0.101
21	0.324	61	0.081
22/1	0.032	62	0.332
22/2	0.093	62/1	0.243
23/1	0.121	62/2	0.162
24/1	0.288	64	
24/2	0.020	76	0.234
25	0.093	278/1	0.049
26/1	0.129	278/2	0.024
26/2	0.125	278/3	0.024
26/3	0.024	279	0.085
27	0.024	280/1	0.238
28	0.238	170/1	0.032

(1)	(2)
170/2	0.085
171	0.085
172/1	0.150
172/2	0.081
173/1	0.040
173/2	0.154
174	0.061
175	0.134
176	0.081
177	0.632
178/1	0.077
178/2	0.032
179/2	0.020
180/1क	0.032
180/2क	0.020
180/2ख	0.032
181/1	0.032
181/2	0.032
182/1	0.040
182/2, 182/3/2	0.224
183	0.421
187/1	0.369
187/2	0.324
188	0.218
198	0.032
189/1, 189/2/1	0.109
189/1, 189/2/2	0.109
190	0.223
191/1, 194/1	0.198
273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1	0.191
200/3	0.020
200/4	0.020
200/5	0.021
201	0.340
202, 203	0.097
204/1, 205/2	0.239
204/2	0.032
205/1	0.021
206	0.182
207/1	0.032
207/2	0.138
208, 211/1	0.121
208, 211/2	0.125
208, 211/3	0.121
208, 211/4	0.062
209/1	0.203
209/2	0.210
210/1, 250/3	0.063
210/2, 250/4	0.127
212/1ग	0.020
212/1घ	0.012
212/1ड	0.020
273/4, 274/4, 275/4, 276/4, 277/4	0.053
251	0.210
253/1	0.040
253/2	0.182
255/1, 256/1	0.485
255/2क, 256/2	0.425
255/2ख, 256/2	0.202
255/3, 256/3	0.202
280/2, 281/1	0.251
281/2	0.202
282/1क	0.053
282/1ख	0.113
282/2	0.226
282/3	0.101
282/4	0.204
283/1	0.372
284/1	0.134
257	0.121
273/2, 274/2, 275/2, 276/2, 277/2	0.129
273/3, 274/3, 275/4, 276/3, 277/3	0.166
258	0.458
273/5, 274/5, 275/5, 276/5, 277/5	0.077
273/6, 274/6, 275/6, 276/6, 277/6	0.109
योग 166	29.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलपाली, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-48.816 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.405
17/2	0.166
17/3	0.27
17/5	0.259
17/6	0.105
17/9	0.247
18	0.405
19	0.842
20	0.627
21/1	1.431
21/2	0.813
21/3	0.640
21/4	0.951
21/6क	0.130
21/6ख	0.032
83/4	0.545
83/5	0.474
83/6	0.526
83/7	0.954
83/8	0.261
83/9	0.960
83/10	1.185
83/11	0.587
83/12	0.345
84	0.741
85	0.619
86/1	0.081
86/2	0.081
86/3	0.085
86/4	0.081
101/6	0.125
101/7	0.129
102/1	0.295
102/2	0.295
103/1	0.174
104	1.295
105/1	0.348
(1)	(2)
106/1	0.105
107	1.222
108/1	0.218
109/1	0.117
110/1	0.061
111/1	1.158
111/3	0.157
112/1	0.551
27/3क	0.130
27/4	0.518
27/5	0.186
27/6	0.290
27/7	0.223
27/8	0.154
27/9	0.154
27/10	0.032
27/11	0.206
82	0.454
83/1	0.170
83/2	0.142
83/3	0.194
21/13	0.308
21/14	0.687
21/7	0.615
21/8	0.320
21/9	0.482
21/10क	0.175
21/10ख	0.154
21/11	0.445
21/12	0.097
113/7क	0.494
113/7ख	0.247
96/4	0.845
96/5	1.129
96/6	0.988
97	0.097
98/1	0.219
96/2	0.773
86/5	0.081
86/6	0.081
87	0.554
88	0.571
90	0.417
91/5	0.122
91/7	0.040
113/7ग	0.246
113/7छ	0.164

(1)	(2)
98/2	0.427
98/3	0.243
99	0.425
100/1	4.513
101/1	0.122
96/3	0.145
112/2	0.474
112/3	0.194
113/2	1.076
113/3	0.162
113/4	1.336
113/5	0.146
113/6	0.332
113/7घ	0.497
113/8	0.518
101/3	0.125
101/4	0.125
101/5	0.125
93	0.202
94/1	0.152
21/15	0.482
21/16	0.185
21/17	0.182
21/18	0.251
21/19	0.332
21/20	0.551
27/1	0.146
113/7ङ	0.165
113/7च	0.165
94/2	0.152
95/4	0.174
95/5	0.032
95/6	0.081
96/1	0.243
योग 121	48.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोड़ातराई रायगढ़ हवाई पट्टी को एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्रमांक/आब./बकाया/2015/55.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादारों से उनके नाम के सामने दर्शायी गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र. (1)	रा.मा.क्र. (2)	बकायादार का नाम (3)	नाम दुकान (4)	बकाया वर्ष (5)	बकाया राशि (6)
1.	10 बी/96/2003-04	श्री कृष्ण कुमार उज्जवने वल्द नारायण राव, साकिन सूर्यवंशी कृषि फार्म भाठागांव, जिला रायपुर	विदेशी मदिरा दुकान गुढ़ियारी/गोगांव, रायपुर की ड्यूटी अंतर राशि	2003-04	2611185
2.	7 बी/96/2003-04	श्री अमित छाबड़ा वल्द हेमराज छाबड़ा, साकिन ए.सी.सी. रावणभाठा जामुल नगर, जिला-दुर्ग.	विदेशी मदिरा दुकान टिकरापारा, रायपुर की ड्यूटी अंतर राशि	2002-03	4721489

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	8 बी/96/2003-04	श्री देवेन्द्र महतो वल्द कन्हाई साकिन साहूपारा फाफाडीह, रायपुर.	विदेशी मदिरा दुकान खरोरा की ड्यूटी अंतर की राशि	2002-03	1194293
4.	1 बी/96/2004-05	श्री विवेक महर्षि वल्द जगदीश चन्द्र महर्षि, आदिश्वर काम्पलेक्स रामसागरपारा, रायपुर.	केबल मनोरंजन शुल्क	2004-05 (01-08-2004 से (19-11-2004)	178720

आशीष श्रीवास्तव,
अति. तहसीलदार.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुरनगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्रमांक 1000/नग्रानि./जशपुर/वि.यो./2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट जशपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

जशपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम नवाटोली, दासडूमरटोली, बघिमा एवं टिकैटगंज ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम टिकैतगंज, डिपाटोली, गम्हरिया एवं बालाछापर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बालाछापर, कनमोरा एवं जोबला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम जोबला, सारूडीह, कोमडो, बम्हनीडांड, भमरी एवं नवाटोली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जशपुर (छ.ग.)

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तह. पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 60 बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमाक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 60 बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली/34	17/2 ख	0.121	0.016
			17/2 क	0.324	0.264
			17/1 क	0.300	0.160
			17/1 ख	0.214	0.214
			9	0.121	0.080
			16/3	0.121	0.110
			10/1	0.247	0.016
			10/2	0.089	0.089
			10/3	0.247	0.015
			11/1	0.267	0.267
			11/2	0.263	0.178
			12/4	0.093	0.032
		योग	**12**	**2.407**	**1.441**

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 62 बी–121/2013–14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमाक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 62/बी–121/2013–14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नं. (4)	कुल रकबा (5)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (6)
रायगढ़	पुसौर	ओड़ेकेरा/35	3/1	0.190	0.040
			3/3	0.012	0.012
			4/1	0.032	0.032
			6/1	0.053	0.053
			4/2	0.032	0.032
			225	0.704	0.162
			237/1	0.210	0.101
			237/2	0.057	0.057
			238/1क	0.260	0.242
			238/2	0.799	0.242
			239/1	0.089	0.010
			239/2	0.065	0.040
			239/3	0.065	0.065
			219/1	0.158	0.040
			240/1	0.283	0.283
			240/2	0.166	0.166
			240/3	0.049	0.049

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			240/4	0.117	0.117
			241/6	0.234	0.080
			242	0.959	0.040
			241/5	0.065	0.040
			245	0.360	0.360
			246	0.526	0.162
			247	0.360	0.202
			226/1	0.105	0.097
			227/1	0.206	0.101
		योग	**26**	**6.156**	**2.825**

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 66/बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमाक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 66/बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतासुर्रा/37	952	1.552	0.373

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			957	0.352	0.275
			956/1	0.105	0.105
			956/2	0.104	0.104
			956/3	0.104	0.104
			958/1	0.332	0.235
			958/2	0.129	0.129
			958/3	0.202	0.121
			955	0.336	0.049
			962/1	0.202	0.044
			962/2	0.231	0.231
			930/3	0.219	0.049
			961/1	0.219	0.099
			961/3	0.255	0.081
			961/5	0.231	0.081
			961/6	0.781	0.099
			961/9	0.289	0.065
			963/1	0.202	0.202
			963/2	0.356	0.079
			963/3	0.016	0.016
			963/4	0.373	0.061
			963/5	0.193	0.079
			963/6	0.475	0.079
			966	0.611	0.040
		योग	**24**	**7.869**	**2.800**

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 70/बी–121/2013–14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमाक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 70/बी–121/2013–14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रनभांठा/24	77/1	0.142	0.142
			77/2	0.052	0.052
			77/3	0.057	0.057
			71/1	0.084	0.084
			71/2	0.041	0.041
			72/2	0.129	0.057
			64	0.053	0.016
			65	0.324	0.121
			70	0.065	0.065
			69	0.113	0.113
			68/1	0.113	0.113
			68/2	0.061	0.061
		योग	**12**	**1.234**	**0.922**

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 71/बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमाक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 71/बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टपरदा/24	1/2	0.603	0.129
			1/3	0.255	0.081
			2	0.339	0.020
			6/1	0.047	0.040
			6/2	0.068	0.040
			6/4	0.174	0.028
		योग	**6**	**1.486**	**0.338**

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 75/बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमाक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पुसौर को अधिसूचना क्रमांक 75/बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुपकधार/24	126/4	0.368	0.233
			126/3	0.372	0.233
			126/2	0.202	0.105
			126/1	0.202	0.156
			127/2	0.231	0.004
			128/2	0.283	0.156
			128/3	0.283	0.202
			128/1	0.170	0.065
			128/4	0.186	0.186
			128/5	0.162	0.024
			130/2	0.255	0.255
			133	0.267	0.267
			107/2	0.287	0.202
			107/3	0.227	0.065
			107/1	0.121	0.121
			102	0.146	0.121
			101	0.263	0.065
			103	0.178	0.057
			108	0.393	0.041
			106/2	0.307	0.024
			124/2	0.032	0.006
			129	0.340	0.006
			134	0.506	0.020
		योग	**23**	**5.781**	**2.614**

के. एस. मण्डावी,

सक्षम अधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छत्तीसगढ़)

मुंगेली, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्रमांक 40/अवलि/2015.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-3-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. संजय अलंग, कलेक्टर, मुंगेली वर्ष 2015 हेतु मुंगेली जिले के लिए निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

अनुक्रमांक	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन
1.	गणेश चतुर्थी	17 सितंबर 2015	गुरुवार
2.	महाष्टमी (आश्विन)	21 अक्टूबर 2015	बुधवार
3.	दीपावली का दूसरा दिन	12 नवंबर 2015	गुरुवार

संजय अलंग,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

महासमुंद, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्रमांक 1235/क/वि-स्था/2014.—एतद्द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम आठ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर, जिला महासमुंद कैलेण्डर वर्ष 2015 हेतु जिला महासमुंद के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए निम्नांकित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्रमांक	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
1.	भाई-दूज	07 मार्च, 2015	शनिवार
2.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	12 अक्टूबर 2015	सोमवार
3.	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	12 नवम्बर, 2015	गुरुवार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

उमेश कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 648/L.G./2015/II-2-18/2006.—Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 10 days from 22-12-2014 to 31-12-2014 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rao, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 649/L.G./2015/II-3-35/2008.—Shri Sypriel Xess, District & Session Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 06 days from 26-12-2014 to 31-12-2014 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 24-12-2014 till 31-12-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Xess, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 650/L.G./2015/II-2-06/2007.—Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 13 days from 22-12-2014 to 03-01-2015 along woth permission to leave headquarters from the evening of 20-12-2014 till the morning of 05-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+01 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 651/L.G./2015/II-02-07/2013.—Shri Satish Kumar Singh, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 09 days from 26-12-2014 to 03-01-2015 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 24-12-2014 till 04-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 652/L.G./2015/II-03-04/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 26-12-2014 to 29-12-2014 along with permission to leave headquarters from the morning of 25-12-2014 till 10.00 a.m. of 01-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 236 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 653/L.G./2015/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Raipur is hereby, granted earned leave for 06 days from 29-12-2014 to 03-01-2015 along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2014 till 04-01-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 281 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 654/L.G./2015/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 04 days from 22-12-2014 to 25-12-2014 along with permission to remain out of headquarters from 20-12-2014 till 28-12-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 655/L.G./2015/II-2-07/2009.—Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 01 day on 31-12-2014 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 656/L.G./2015/II-3-10/2007.—Shri Sharad Gupta, Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 01-12-2014 to 06-12-2014 along with permission to leave headquarters from 30-11-2014 till 07-12-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 657/L.G./2015/II-2-05/2006.—Shri Ravishankar Sharma, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 15-12-2014 to 19-12-2014 along with permission to leave headquarters from 13-12-2014 to 21-12-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 286 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 658/L.G./2015/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-01-2015 to 09-01-2015 along with permission to remain out of headquarters from 04-01-2015 till 11-01-2015.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 287 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 659/L.G./2015/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 06 days from 22-12-2014 to 27-12-2014 along with permission to leave headquarters from 21-12-2014 to 28-12-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th January 2015

No. 660/L.G./2015/II-2-07/2002.—Shri T. K. Jha, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted commuted leave for 02 days on 01-12-2014 & 02-12-2014, commuted leave for 02 days on 15-12-2014 & 16-12-2014, commuted leave for 06 days from 26-12-2014 to 31-12-2014 and earned leave for 02 days on 12-01-2015 & 13-01-2015 along with permission to remain out of headquarters from 10-01-2015 till 13-01-2015.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 577 days of half-pay-leave and 256 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).